रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, अगस्त 28—सितम्बर 3, 2011, शनिवार/भाद्र 6—भाद्र 12, 1933
No. 36] NEW DELHI, AUGUST 28—SEPTEMBER 3, 2011, SATURDAY/BHADRA 6—BHADRA 12, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 244.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में भूगोलवेत्ता/मानचित्रकार समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2002 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में भूगोलवेत्ता/मानचित्रकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में भूगोलवेत्ता/मानचित्रकार समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उसका पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भूगोलवेत्ता/ मानचित्रकार	34*(2011) *(कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पी.बी.-2, (9300—34800 रु. तथा ग्रेड पे 4200 रु.	लागू नहीं	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार पांच वर्षों तक सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) **टिप्पणी :** आयु-सीमा के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तारीख भारत (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी सब-डिवीजन, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के लिए विहित अंतिम तारीख नहीं) में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातकोत्तर उपाधि; और	लागू नहीं	दो वर्ष

(7)

(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से भूगोल या मानचित्रकारी में सैकेण्डरी स्तर या अनुसंधान कार्य में शिक्षण का दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 : उम्मीदवारों के अन्यथा अधिक अर्हता के मामले में लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं ।

टिप्पण 2 : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हक शिथिलनीय है, चदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या की उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

वांछनीय : कम्प्यूटर मानचित्रण तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम से कम छः माह की अवधि का प्रमाणपत्र है ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाए: (क) (i) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग या विभाग में पे बैण्ड-1, 5200—20200 रुपए और ग्रेड पे 2800 रुपए या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में छः वर्ष की सेवा पूरी की हो; और (ख) कालम 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों ।	लागू नहीं

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि संबंधी मामलों पर विचार हेतु) :— 1. भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष 2. भारत के अपर महारजिस्ट्रार/भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —सदस्य 3. उप सचिव/अवर सचिव —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-12032/11/99-प्रशा.-II/V]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 25th August, 2011

G.S.R. 244.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Office of the Registrar General, India, and Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories Geographer/Cartographer Group 'B' post Recruitment Rules, 2002, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Geographer/Cartographer in the Office of the Registrar General, India, and the Offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, and the Offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories, Geographer/Cartographer Group 'B' Post Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Geographer/ Cartographer	34* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance wiht the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit, shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,

		(6)
		Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Master's Degree in Geography from a recognised University; and (ii) Two years experience in teaching at secondary level or research work in the field of Geography or Cartography in recognised institute. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable:** Certificate of any recognised Institution or University in Computer Mapping and Geographical Information System of a minimum duration of six months.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment > **Note** : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	Not applicable

(10)	
(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band -1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7.	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :— 1. Registrar General, India —Chairman 2. Additional Registrar General, India/ Joint Registrar General, India —Member 3. Deputy Secretary/Under Secretary —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12032/11/99-Ad. II/V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 245.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, नक्शानवीस श्रेणी-I, श्रेणी-II, और श्रेणी-III, भर्ती नियम, 1992 को, जहां तक उसका संबंध नक्शानवीस श्रेणी-III के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में नक्शानवीस श्रेणी-III के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, नक्शानवीस श्रेणी-III, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,